"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी 2013—पौष 28, शक 1934

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

क्रमांक ई-1-2/2012/एक/2.— श्री एच. पी. किण्डो, भा.प्र.से., (छ.ग. 1997) विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छ.ग., रायपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, कोष एवं लेखा तथा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक तथा सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2013

शुद्धि-पत्र

क्रमांक 116/डी. 238/21-अ/प्रारूपण/12.— छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15 जून, 2010 के पृष्ठ क्रमांक 330 (1) में प्रकाशित किये गये, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 14 सन् 2010) के हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ में, अधिनियम की धारा 14 में, शब्द "धारा 14 की उप-धारा (2-क) के परन्तुक" को "धारा 14 की उप-धारा (2) के द्वितीय परन्तुक" पढ़ा जाए.

CORRIGENDUM

No. 116/डी.238/21-अ/प्रारूपण/12.—In the Hindi and English version of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Act, 2010 (No. 14 of 2010), as published in the Chhattisgarh Gazette (Extra Ordinary) dated 15th June, 2010 at page 330 (1), in Section 14 of the Act, the words "proviso of sub-section (2-a) of Setion 14" be read as "second proviso of sub-section (2) of Section 14"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

क्रमांक/एफ 1-15/दो गृह/भापुसे/2009.—श्रीमती नीतु कमल, भा.पु.से., सेनानी, 4थी वाहिनी, छसबल, माना, रायपुर को दिनांक 21-12-2012 से दिनांक 24-12-2012 (04 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती नीतु कमल, आगामी आदेश तक सेनानी, 4थी वाहिनी, छसबल, माना, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती नीतु कमल को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नीतु कमल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्रमांक/1359/1367/दो गृह/भापुसे/2012.—श्री आर. के. विज, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक, छसबल, एसटीएफ, सीटीजेडब्ल्यू, नक्सल अभियान, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 17-12-2012 से दिनांक 31-12-2012 (15 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

प्ररूप–ब

राजीनामा उपरांत जारी किये जाने वाले आदेश का प्ररूप

1. आवेदक का नाम ....

2. पूर्ण पता ....

3. (अ) सर्विस कनेक्शन क्रमांक .... तथा अनुबंध के अधीन विद्युत उपयोग का प्रयोजन (जैसे–घरेलू, गैर घरेलू, निम्नदाब औद्योगिक, उच्चदाब औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि उपयोग इत्यादि)

   (ब) अनुबंधित विद्युत भार (किलोवाट/अश्वशक्ति में)

4. अर्थदण्ड निर्धारण आदेश का संदर्भ
   क्रमांक .... दिनांक .... राशि ....

5. प्रारंभिक सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) का विवरण–थाना ....
   क्रमांक .... दिनांक .... आरोपित धारा ....

6. यदि प्रकरण दर्ज हो गया है, तो प्रकरण का पंजीयन क्रमांक .... न्यायालय का नाम ....

7. अपराध के राजीनामा के लिए जमा की गई राशि रुपये .... (रुपये शब्दों में ....) तथा कोषालय द्वारा भुगतान प्राप्ति की पुष्टि में जारी चालान क्र. .... दिनांक .... एवं मद ....

8. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–135 के तहत आवेदक श्री .... विरुद्ध विद्युत चोरी का प्रकरण क्र. ..../................................. अनुसार माननीय न्यायालय...................................... में दर्ज किया गया है. उक्त प्रकरण में आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–152 के अंतर्गत अपराध के राजीनामा हेतु निवेदन किया है. आवेदक द्वारा उक्त विद्युत कनेक्शन के अंतर्गत दर्ज विद्युत चोरी के प्रकरण के संबंध में राजीनामा का यह प्रथम प्रकरण है. आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 152 की उप–धारा (1) में उल्लिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट राशि रुपये .... दिनांक .... को जमा कर दी गई है.

9. उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि उपरांत मैं (नाम व पदनाम सहित) .... आवेदक (नाम व पता) .... को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–152 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राजीनामा के लिए अनुमति प्रदान करता हूं.

10. राजीनामा के प्रकाश में, प्रकरण क्रमांक ....,........... में निम्न व्यक्ति/व्यक्तियों को यथा 1. .... 2. .... 3. .... जो पुलिस की हिरासत में है, स्वतंत्र/मुक्त कर दिया जाए और इस संबंध में कोई भी दण्डात्मक कार्यवाही न की जाए और यदि उपभोक्ता/उपभोक्ता के प्रतिनिधि हिरासत में है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए.

राजीनामा हेतु अधिकृत प्राधिकारी का नाम,
पदनाम मुहर एवं दिनांक सहित

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 14-25/2012/19/तक-4.— पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) जैसा कि यह छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, की धारा-2 सहपठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-11/96/जी/19, भोपाल, दिनांक 02-09-1996 को अतिष्ठित करते हुए, एतद्द्वारा, पामगढ़-शिवरीनारायण-सारंगढ़ मार्ग के 65 कि.मी. पर स्थित महानदी पुल पर पथकर की वसूली दिनांक 01-04-2013 से समाप्त करती है.

No. F-14-25/2012/19/T-4.—In exercise of the powers conferred by Section-2 read with Section-4 of the Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851), in its application to the State of Chhattisgarh, the State Government, in Supersession of Department's Notification No. F-23-11/1996/G/19, Bhopal, Dated 02-09-1996, hereby, stops the levy of Toll on Pamgarh-Shivreenarayana-Sarangarh Road situated at 65 Km. on the bridge of Mahanadi River with effect from 01-04-2013.

नया रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2012

क्रमांक 396/3238/2012/19/तक-4.— पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, की धारा-2 सहपठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23/1/92/जी/19, दिनांक 27-03-1992 एवं क्रमांक एफ 23-6/98/जी/19 दिनांक 22-09-1998 को अतिष्ठित करते हुए, एतद्द्वारा, निम्नलिखित पुलों पर पथकर की वसूली दिनांक 01-04-2013 से समाप्त करती है :—

1. कुदमुरा-हाटी-धरमजयगढ़ मार्ग के कि.मी. 3/2 पर स्थित माण्ड नदी पुल
2. कोरबा चिरमिरी मार्ग के कि.मी. 20/6 पर स्थित हसदेव नदी पुल

No. 396/3238/2012/19/T-4.—In exercise of the powers conferred by Section-2 read with Section-4 of the Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851), in its application to the State of Chhattisgarh, the State Government, in Supersession of Department's Notification No. F-23/1/92/G/19, Dated 27-03-1992, and No. F-23-6/98/G/19, Dated 22-09-1998, hereby. Stops the levy of Toll with effect from 01-04-2013 on following Bridge. namely :—

1. Mand Nadi Bridge situated at 3/2 Km. of Kudhmura-Hati-Dharmjaigarh Road.
2. Hasdeo Nadi Bridge situated at 20/6 Km. of Korba Chirmiri Road.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. के. सहगल, उप-सचिव.